झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

पंचम सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न गुरुवार,दिनांक- 20 फाल्गुन,1937 {श0} / 10 मार्च, 2016 {ई0} को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगेः-

क.सं.	विभागों को संसुचित की गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(उत्तर मुद्रित) "क"813.	कृष-06	श्री रबीन्द्र नाथ महतो	धान क्रय केन्द्र खोलना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	06.02.16
(उत्तर प्राप्त) 1095.	कृष-51	श्री रामचन्द्र सहिस	कानूनी कार्रवाई करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.02.16
1096.	जा-40	श्री आलमगीर आलम	ट्रांसफरमर उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	17.02.16
1097.	क-18	श्री दशरथ गागराई	एन0जी0ओ0 पर कार्रवाई।	कल्याण	12.02.16
1098.	क-30	श्रीमती गीता कोड़ा	छात्रवृत्ति देना।	कल्याण	17.02.16
1099.	ज-88	श्री नलिन सोरेन	गार्डवाल निर्माण कराना।	जल संसाधन	17.02.16
1100.	कृष-16	श्री आलोक कु0 चौरसिया	अनुकम्पा के आधार नियुक्ति।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	11.02.16
1101.	जा-58	श्री नलिन सोरेन	ट्रांसफरमर लगाना।	ऊर्जा	25.02.16
1102.	खा-21	श्री अशोक कुमार	धान का कय।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	25.02.16
1103.	खा-15	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	मच्छरदानी का वितरण।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	17.02.16
1104.	कृष-49	श्रीमती निर्मला देवी	शीतगृह का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.02.16
1105.	क-33	श्री रामकुमार पाहन	शेड का निर्माण।	कल्याण	17.02.16
1106.	ज-42	श्री हरिकृष्ण सिंह	चैक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	11.02.16

कृ0पृ0उ0/-

01	02	03	04	05	06
1107.	ज-98	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	हाई लेवल कैनाल का निर्माण।	जल संसाधन	22.02.16
1108.	क-43	श्री राजकुमार यादव	आवासीय विद्यालय का निर्माण।	कल्याण	19.02.16
1109.	ज-112	श्री ताला मराण्डी	गार्डवाल का निर्माण।	जल संधाधन	29.02.16
1110.	ज-106	श्री दीपक बिरुवा	नहर का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	25.02.16
1111.	कृष-58	श्रीमती निर्मला देवी	शेष राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	29.02.16
1112.	जा-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	06.02.16
1113.	जा-68	श्री नवीन जयसवाल	विद्युत कनेक्शन देना।	ऊर्जा	01.03.16
1114.	क-48	श्री अरुप चटर्जी	चाहरदिवारी का निर्माण।	कल्याण	25.02.16
1115.	जा-61	श्री नागेन्द्र महतो	विद्युतापूर्ति बहाल करना।	ऊर्जा	25.02.16
1116.	जा-59	श्री योगेन्द्र प्रसाद	दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई।	ऊर्जा	25.02.16
1117.	कृष-55	श्री प्रकाश राम	रेगुलेटेड मार्केट खोलना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.02.16
1118.	क-52	श्री प्रकाश राम	आवासीय विद्यालय खोलना।	कल्याण	25.02.16
1119.	कृष-56	श्री नारायण दास	कृषकों को प्रशिक्षण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.02.16
1120.	जा-49	श्री आलोक कु0 चौरसिया	सब-स्टेशन स्थापित करना।	ऊर्जा	18.02.16
1121.	ज-97	श्री योगेन्द्र प्रसाद	शिक्षकों की नियुक्ति।	जल संसाधन	22.02.16
1122.	मस-11	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.02.16
1123.	ज-71	श्री शिवशंकर उराँव	योजना को पूरा कराना।	जल संसाधन	17.02.16
1124.	कृष-52	श्री रामचन्द्र सहिस	समुचित व्यवस्था।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.02.16
1125.	जा-57	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	25.02.16
1126.	ज-110	श्री अनन्त कुमार ओझा	नाला का पक्कीकरण।	जल संसाधन	29.02.16
1127.	क-34	श्री सुखदेव भगत	बिरसा आवास देना।	कल्याण	17.02.16
1128.	जा-67	श्री अरुप चटर्जी	अविलम्ब कार्रवाई करना।	ऊर्जा	29.02.16
1129.	ज-86	श्रीमती विमला प्रधान	योजना की स्वीकृति।	जल संसाधन	17.02.16
1130.	ज-94	श्री दशरथ गागराई	चेक डैम बनाना।	जल संसाधन	18.02.16
*1131.	ज-89	श्री रामकुमार पाहन	वेतन का भुगतान।	जल संसाधन	17.02.16
1132.	जा-47	श्री अमित कुमार	सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	17.02.16
1133.	जा-39	श्रीमती विमला प्रधान	ट्रांसफरमर आपूर्ति कराना।	ऊर्जा	17.02.16
1134.	क-11	श्री गणेश गंझू	आवास आवंटन।	कल्याण	12.02.16
1135.	कृष-60	डॉ0 जीतू चरण राम	कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	01.03.16
1136.	कृष-54	श्री नागेन्द्र महतो	केन्द्र का स्थापना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.02.16
1137.	खा-18	श्री आलमगीर आलम	गोदाम निर्माण कराना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	17.02.16
1138.	जा-52	श्री पौलुस सुरीन	लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण।	ऊर्जा	19.02.16

कृ0पृ0उ0/-

* जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 1561 दिनांक- 8.3.16 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में स्थानान्तरित।
(उत्तर अप्राप्त)

01	02	03	04	05	06
1139.	जा–46	श्री सुखदेव भगत	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	17.02.16
1140.	जा–33	श्री शिवशंकर उराँव	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	17.02.16
1141.	ज–111	श्रीमती जोबा मांझी	तालाब का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	29.02.16
*1142.	कृष–59	श्री अनन्त कुमार ओझा	विधि सम्मत कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	29.02.16
1143.	ज–96	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	डैम का फाटक दुरुस्त कराना।	जल संसाधन	22.02.16
1144.	क–55	श्री ताला मराण्डी	छात्रावास की सुविधा देना।	कल्याण	29.02.16
1145.	ज–114	श्री बिरंची नारायण	Datum Wall का निर्माण।	जल संसाधन	02.03.16
1146.	कृष–28	श्री प्रदीप यादव	कर्मचारियों का समायोजन।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	12.02.16
1147.	क–13	डॉ0 इरफान अंसारी	आवासीय उच्च विद्यालय खोलना।	कल्याण	12.02.16
1148.	खा–19	श्री जगरनाथ महतो	राशन कार्ड उपलब्ध कराना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	19.02.16
1149.	ज–65	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	योजना को पूरा कराना।	जल संसाधन	15.02.16
1150.	जा–66	श्रीमती जोबा मांझी	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	29.02.16
1151.	ज–41	श्री हरिकृष्ण सिंह	नहर निर्माण।	जल संसाधन	11.02.16
1152.	ज–12	श्री रबीन्द्र नाथ महतो	लिफ्ट एरिगेशन लगाना।	जल संसाधन	11.02.16
1153.	ज–91	श्री अमित कुमार	नहरों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	17.02.16
1154.	क–39	श्री जगरनाथ महतो	कार्य प्रारम्भ कराना।	कल्याण	18.02.16

नोटः– ''क''813,दिनांक–03.03.2016 से सदन द्वारा दिनांक–10.03.2016 के लिए स्थगित।

*कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के ज्ञापांक–808,दिनांक–03.03.2016 द्वारा योजना–सह–वित्त (सांस्थिक वित्त) विभाग में स्थानांतरित।

रॉंची,
दिनांक–10 मार्च,2016(ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2016.....2087...../वि0स0,रॉंची,दिनांक–.....08/03/.....,2016ई0।

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2016.....2087...../वि0स0,रॉंची,दिनांक–.....08/03/.....,2016ई0।

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

राजेन्द्र/–

धान क्रय केंन्द्र खोलेना ।

उत्तर मुद्रित

''क'' *813. श्री रबीन्द्र नाथ महतो--क्या मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत नाला विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड नाला, कुंडहित एवं फतेहपुर मुख्यालय में धान क्रय केन्द्र नहीं है, जिसके कारण उस क्षेत्र के गरीब किसान खुले बाजार में औने-पौने दाम में धान बेचने को विवश है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में धान क्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- (1) अस्वीकारात्मक

(2) जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड नाला में 04 धान क्रय केन्द्र खोला गया है-1 गेड़िया 2. दलाबड़ 3. कुलडंगाल 4. पैकबड़ । प्रखण्ड फतेहपुर में 04 धान क्रय केन्द्र खोला गया है- 1 सिमलडुबी 2. बामनडीह 3. बिन्दापाथर 4. धसनियाँ तथा प्रखण्ड कुण्डहित में 02 धान क्रय केन्द्र खोला गया है-1 कुण्डहित 2. खाजुरी ।

खण्ड-1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट है ।

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-51 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तालाब, चेक डैम, सोलर डीप बोरिंग का कार्य पानी पंचायत लाभुक समिति के माध्यम से कराये जाने की बात भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कही गई है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाब, चेक डैम तथा सोलर डीप बोरिंग निर्माण कार्य किसी खास ऐजेंसी या निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है जो पानी पंचायत के नियम के विरुद्ध है;	भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाब, चेक डैम तथा सोलर डीप बोरिंग निर्माण कार्य विभाग द्वारा निर्गत विभागीय राज्यादेश में वर्णित पानी पंचायत के माध्यम से की जा रही है। विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा सौर उर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमाणिक एवं अग्रणी निर्माता/अधिकृत बिक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता से निर्धारित Specification के आधार पर खुली निविदा आमंत्रित कर विधिवत निर्माताओं/अधिकृत बिक्रेताओं को सूचीबद्ध किया गया है। जिनमें से पानी पंचायत के द्वारा किसी भी सूचीबद्ध संस्था के द्वारा कार्य कराये जाने का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि भूमि संरक्षण विभाग पूर्वी सिंहभूम द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कार्यान्वित सभी निर्माण, जीर्णोद्धार ऐजेंसी द्वारा कराया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराया जा रहा सभी कार्य 'पानी पंचायत' लाभुक समिति के माध्यम से कराना चाहती तथा ऐजेंसी के माध्यम से निर्माण कार्य कराने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	क्रमांक-2 में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)-63/2016 854 कृ0,राँची,दिनांक- 08-03-16

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1576 दिनांक-25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/16

(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)-63/2016 854 कृ0,राँची,दिनांक- 08-03-16

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को

(1096)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–40 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला सहित राज्य के सभी जिलों में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत किये गये विद्युतकृत गाँव में 25 के0भी0ए0 / 16 के0भी0ए0 एवं 10 के0भी0ए0 के कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाये गये है;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है राज्य भर में 600 ग्रामों में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर 6 माह से जले रहने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है;		राज्य भर में कुल 3318 अदद 10/16/25 के0भी0ए0 ट्रांसफार्मर जला हुआ है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत सभी विद्युतीकृत गाँव में 63 के0भी0ए0 एवं 100 के0भी0ए0 का ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लगाये गये 10/16 के0वी0ए0 के कम क्षमता के ट्रांसफार्मर को भार के अनुरूप 25 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर से परिवर्तित करने का प्रावधान है। राज्य भर में कुल 64675 अदद 25 के0भी0ए0 ट्रांसफार्मर लगाने का प्रावधान है। योजना क्रियान्वयन की दिशा में पहल कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 60% कार्य को वर्ष 2015–17 एवं शेष 40% कार्य को वर्ष 2017–18 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 695 / दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव 9/3/16

(1097)

श्री दशरथ गागराई, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–18 का उत्तर:–

क्र स	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि समेकित जनजाति विकास अभिकरण सरायकेला खरसावां से जागृति विहार, रॉची नामक एन0 जी0 ओ0 को विशेष केन्द्रीय सहायता मद से वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुचाई प्रखंड के चिन्हित गॉवो (छोटा अरूवां, बयांग, सेलाईडीह, केरकेट्टा, छोटा बुंडी, कारालोर, बाराहातु, दलभंगा, कुडियामार्चा, कुचाई एवं लेप्सो) में वृक्षारोपण (Horticulture & timber) कार्य हेतु 38.37 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें लगभग 32 लाख की निकासी कर ली गयी है	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना में निर्धारित वृक्षारोपण कार्य सही तरीके से नहीं होने के कारण इसका लाभ लाभुको को नहीं मिल पाया है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। परियोजना निदेशक, आई0 टी0 डी0 ए0 सरायकेला–खरसॉवा के प्रतिवेदन के अनुसार सरायकेला–खरसॉवा जिले में प्रोटोटाइप योजना बैच–V के तहत जागृति विहार, रॉची नामक संस्था को कुचाई प्रखण्ड के 11 गॉवों में 105 लाभुको के 142 एकड़ भूमि में इमारती लकड़ी एवं फलदार वृक्ष के वृक्षारोपन की योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया एवं अब तक कुल 32.59379 लाख रू0 विमुक्त किया गया है। वर्तमान में मात्र 8 गॉवों क्रमशः केरकेट्टा, दलभंगा, बाराहातू, कुचाई, छोटा बुंडी, छोटा अरूवां, कुडियामार्चा, एवं लेप्सो में ही वृक्षारोपण कार्य किया गया है। ग्राम बारूहातु–I एवं बारूहातु–II के निरीक्षण के दौरान 100–100 शिशम (ईमारती लकड़ी) का पौधा खाली पड़ी भूमि पर लगाने हेतु चापाकल के समक्ष रखा हुआ पाया गया। अभिलेख के अनुसार उक्त 08 गॉवो के कुल 77 लाभुकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था। तत्कालीन सहायक अभियंता, आई0 टी0 डी0 ए0 द्वारा दिनांक–16.07.2015 को संस्था द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपन स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि संस्था द्वारा वृक्षारोपण भूभाग का उचित रख–रखाव ठीक ढंग

		से नहीं किया जा रहा है। उपर्युक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में परियोजना निदेशक आई0 टी0 डी0 ए0 सरायकेला–खरसॉवा द्वारा पत्रांक–559/आई0टी0 डी0 ए0 दिनांक–20.07.2015 द्वारा सचिव, जागृति विहार, रॉची को उपर्युक्त जॉच पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु संस्था द्वारा उक्त त्रृटियों का निराकरण अबतक नहीं किये जाने के फलस्वरूप, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसॉवा के पत्रांक–932/ आई0टी0 डी0 ए0 दिनांक–28.12.2015 के द्वारा योजना कार्य की स्थिति तथा व्यय की गई राशि का स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए उन्हे निदेशित किया गया था। अनुपालन नही किये जाने के फलस्वरूप परियोजना निदेशक, आई0 टी0 डी0 ए0, सरायकेला–खरसॉवा द्वारा सरकारी राशि 981688/– रू0 के गबन के आरोप में जागृति विहार, रॉची के विरूद्ध कुचाई थाना में आई0 पी0 सी0 की धारा–406/409/420 के तहत काण्ड संख्या– 06/16 दिनांक–09.03.2016 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त एन0 जी0 ओ0 के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 07/SCA to TSP-वि0 स0 प्र0 –04/2015 876 राँची, दिनांक– 9/3/16 .

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्री मनोहर लकड़ा, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 515 दिनांक–12.02.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–5 (विधायी कार्य), कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(चन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(1098)

श्रीमति गीता कोड़ा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–30 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के इस्पात ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दलपोसी, राउरकेला (उड़ीसा) में प्रशिक्षण लेने वाले फिटर एवं इलेक्ट्रिकल के 100 छात्र–छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का छात्रवृति नहीं मिला है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस्पात ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दलपोसी, राउरकेला (उड़ीसा) में अध्ययनरत 209 छात्रों–छात्राओं का छात्रवृति स्वीकृति प्रदान कर छात्रवृति भुगतान हेतु राशि निर्गत की गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में छात्रवृति भुगतान हेतु ऑन–लाईन के माध्यम से कुल 104 आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें 103 आवेदकों को छात्रवृति भुगतान हेतु राशि निर्गत की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि छात्र–छात्राओं को छात्रवृति नहीं मिलने पर संस्थान में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;	कंडिका–1 से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।
3	क्या यह बात सही है कि कलिंगा आई.टी.आई. लटीकटा, राउरकेला में टेलरिंग का प्रशिक्षण ले रही छात्राओ को छात्रवृति नहीं मिलने के कारण प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र नहीं मिल रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में कलिंगा आई.टी.आई. लटीकटा, राउरकेला के 96 छात्रों के छात्रवृति स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त संस्थान के ऑन–लाईन आवेदन के तहत् 51 आवेदन की स्वीकृति दी गई है। कटिंग कोर्स के एक छात्र के द्वारा ही ऑन–लाईन आवेदन किया गया है, परन्तु आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने के कारण आवेदन अस्वीकृत हो चुका है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र–छात्राओं को समय पर छात्रवृति देने का विचार रखती है हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों से स्थिति स्वतः स्पष्ट है। बजट उपबंध के तहत् उपलब्ध राशि से छात्रवृति का भुगतान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4 / वि0स0प्र0(तारां0)–08 / 2016 865 राँची, दिनांकः– 9/3/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1054 दिनांक–17.02.16 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एस0 के0 लाल)
सरकार के उप सचिव।

E:\Ranjana\Vidhan sabha Questionire.doc

1099

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज–88 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम झुनकी पंचायत झुनकी आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा जीविका का मुख्य साधन खेती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त आदिवासी बहुल पंचायत व गाँव के किसानों की भूमि/खेत ब्राहमणी नदी के बाढ से गार्डवाल नहीं रहने के कारण नदी में समा गये है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्षा ऋतु में नदी के बैंक का क्षरण सामान्य गतिविधि है।
3.	क्या यह बात सही है कि ब्राहमणी नदी के बाढ से हो रहे कटाव की रोकथाम हेतु वर्ष 2010–11 में 6.24 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी लेकिन अबतक गार्डवाल का निर्माण नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य तकनीकी सलाहकार समिति से जाँच कराकर ग्राम–झुनकी पंचायत–झुनकी के ग्रामीणों को ब्राहमणी नदी के बाढ से हो रहे कटाव की रोकथाम के लिए चालु वित्तीय वर्ष में गार्डवाल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	कटाव निरोधक कार्यों हेतु राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) द्वारा इस वर्ष योजना की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की गई है, अपितु Wait & Watch में रखा गया है। वर्षात अवधि के बाद क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत इसे राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) के समक्ष पुनः रखा जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारा०–91/16 – 1564 /राँची, दिनांक 08.03.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1093 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1100)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष0–16 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्री राजेन्द्र महतो, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची में चतुर्थ वर्ग के पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक– 28.02.2013 को हो गयी है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि स्वर्गीय महतो के पुत्र श्री सुनील कुमार द्वारा दिनांक–05.06.2013 को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु आवेदन दिया गया है, जिस पर अबतक संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	अनुकम्पा मामले पर निर्णय हेतु पर्षदीय अनुकम्पा नियुक्ति उप–समिति की बैठक आहूत की गयी थी। समिति की बैठक में आवेदकों का आवेदन अनुकम्पा नियुक्ति के संगत परिपत्रों के आलोक में त्रुटिपूर्ण पाया गया, जिसके निराकण हेतु सभी आवेदकों को सूचना निर्गत कर दिया गया है, साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति उप–समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियुक्ति के पूर्व निदेशक मण्डल का तत्संबंधी अनुमोदन आवश्यक होगा।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री सुनील कुमार का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विषयगत अनुकम्पा नियुक्ति के बिन्दु पर नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–40/2016 851 कृ0,राँची,दिनांक– 08-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–471 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/16

(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–40/2016 851 कृ0,राँची,दिनांक– 08-03-16

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

1101

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-58 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है दुमका जिला के प्रखंड रानेश्वर अन्तर्गत शादीपुर, गोविन्दपुर, विलकांदी, दक्षिणगोल, कुमीरदहा, सालतल्ला, धनभाषा, हरिपुर एवं पाटजोर पंचायत के गांवों में लगा ट्रांसफार्मर जल गया है/चोरी हो गया है जिस कारण ग्रामीण अंधेरे में रहने को विवश है	आंशिक स्वीकारात्मक है। जले हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या-07 है एवं चोरी हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या-33 है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गांवों में ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	• रानेश्वर प्रखण्ड के अन्तर्गत शादीपुर, गोविन्दपुर, विलकांदी, दक्षिणगोल, कुमीरदहा, सालतल्ला, धनभाषा, हरिपुर एवं पाटजोर पंचायत के गाँवों में जले/चोरी हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया जारी है। • उपलब्धता के अनुसार जले/चोरी हुए ट्रांसफार्मरों को बदला जा रहा है। • शेष गाँवों के जले/चोरी हुए ट्रांसफार्मरों को माह अप्रैल 2016 तक बदलने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 709 / दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16
सरकार के अवर सचिव

1102

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–21 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अशोक कुमार,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला में विभिन्न प्रखण्डों से केवल 259 किसानों से मात्र 5845 क्विंटल धान 31 जनवरी 2016 तक खरीदा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गोड्डा जिला अन्तर्गत 31 जनवरी 2016 तक 212 किसानों से 5039.09 क्विंटल धान क्रय किया गया। दिनांक 02.03.2016 तक कुल 19750 क्विंटल धान क्रय किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला में धान क्रय बंद हो जाने के कारण अधिकतर किसान धान बेच नहीं सके, जिस कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में गोड्डा जिले में 20 धान क्रय केन्द्र कार्यरत हैं जिनके द्वारा दिनांक 02.03.2016 तक कुल 19750 क्विंटल धान क्रय किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किस प्रक्रिया के तहत गोड्डा जिला के किसानों का धान खरीदेगी, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट है।

ह0/–
(आलोक त्रिवेदी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 40/2016 839 /राँची, दिनांक 04-03-16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1556, वि0स0, दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं अविश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1603

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–15 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दर पर धोती एवं साड़ी के अलावा गैस कनेक्शन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में मच्छर के प्रकोप के कारण गरीब जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गरीब लोगो के बीच जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दर पर मेडिकेटेड मच्छरदानी के वितरण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	वर्तमान में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण का प्रस्ताव नहीं है।

ह0/–
(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 32/2016 691 /राँची, दिनांक 24.02.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1057, वि0स0, दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1104

श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक-10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-49 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्रीमती निर्मला देवी, स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत केरेडारी प्रखण्ड एक कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन कृषि है,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसानों को काफी क्षति हो रही है,	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केरेडारी प्रखण्ड में एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह योजना एम0आई0डी0एच0 योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, राँची के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों/उद्यमियों/कृषक समूहों के लिए उपलब्ध है तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन सं0 पी0आर0सं0-120371(कृषि) 2014-15, विज्ञापन सं0 पी0आर0सं0-128065(कृषि) 2015-16 एवं विज्ञापन सं0 पी0आर0सं0-132813(कृषि) 2015-16 के क्रम में उक्त क्षेत्र से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। समय-समय पर इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)-64/2016- 852 /कृ0,राँची/दिनांक- 08-03-16

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1578 दिनांक-25.02.2016 के क्रम में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/16

(सुमन कैथरीन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)-64/2016- 852 /कृ0,राँची,दिनांक- 08-03-16

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची/ मुख्य मंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, कोषांग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

F/Vidhan Sabha-Ques&Ans 2016-16 page-35

(1105)

श्री रामकुमार पाहन,स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–क–33 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	माननीया मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत लौवाडीह मौजा खाता नं0–1 प्लॉट सं0–1920 रकबा 7.62 एवं खाता सं0–2, प्लॉट सं0–1335 रकबा–50डी0 सरना स्थल का घेराबंदी नहीं रहने से अतिक्रमण एवं भू–माफियाओं का नजर जमीन पर है।	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची का पत्रांक–286,दिनांक–22.12.2012 द्वारा उक्त सरना स्थल का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ विभाग को प्राप्त हुआ है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल का घेराबंदी एवं सेड का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(शैलेन्द्र कुमार लाल)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–04 / वि0स0तारां0–11 / 2016(क) 877 राँची, दिनांक:– 9/3/16 .

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1139 दिनांक–17.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार लाल)
सरकार के उप सचिव

(1106)

श्री हरिकृष्ण सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.16 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–42 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के प्रखंड गारू के ग्राम पंचायत घासीटोला के ग्राम–मकनपुर में बाघबोथवा नाला में चेकडैम का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नाला में चेकडैम निर्माण हो जाने से नक्सल एंव सुखाड़ प्रभावित प्रखंड के आदिवासियों के सैकड़ो एकड जमीन का पटवन हो सकता है :	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित नाला पर अविलम्ब चेकडैम निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत चेकडैम की संभाव्यता पाये जाने पर लाभ–लागत अनुपात, बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां0–60 / 16 – 1582 / राँची, दिनांक– 8.3.2016

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–472 दिनांक–11.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची / दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1107)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–98 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत मोहम्मदगंज प्रखण्ड स्थित मोहम्मदगंज उत्तरी कोयल परियोजना "0" RD (जीरो०आर०डी०) से हाई लेवल कैनाल का निर्माण नहीं कराया गया है?	उत्तर कोयल परियोजना एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दोनों राज्यों (झारखण्ड एवं बिहार) के बीच वर्ष 2006 में एक MoU किया गया है। इस परियोजना के स्वीकृत DPR में "0" RD (जीरो०आर०डी०) से हाई लेवल कैनाल का कोई प्रावधान नहीं है। इसे एक नये component के रूप में शामिल करने के पर बिहार राज्य के हिस्से का जलश्राव प्रभावित होगा। अतः इस प्रस्ताव पर सहमति देना MoU के विरूद्ध होगा।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मोहम्मदगंज उत्तरी कोयल परियोजना में हाई कैनाल के लिए पर्याप्त जल संग्रह है?	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित मोहम्मदगंज प्रखण्ड स्थित मोहम्मदगंज उत्तरी कोयल परियोजना में "0" RD (जीरो०आर०डी०) से हाई लेवल कैनाल का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां–102/16– 1588 **/ राँची, दिनांक–** 8/3/16

प्रतिलिपिः– (1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के ज्ञापांक–1323 दिनांक–22.02.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

1108

श्री राजकुमार यादव, स० वि० स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–क–43 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड, बिरनी प्रखण्ड एवं गाँवा, सरिया प्रखण्ड में अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है जिसके कारण गरीब परिवार की बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनवार, बिरनी, गाँवा एवं सरिया प्रखण्ड में शिक्षा विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में सरकारी विद्यालय संचालित है, जिसमें सभी जाति/गरीब परिवार की बालिकाएँ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहीं हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धनवार प्रखण्ड में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है , हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में धनवार प्रखण्ड में अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता धनवार प्रखण्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या एवं आवश्यकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–08/2016–क– 871 राँची, दिनांक– 9/3/16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1263, दिनांक–19.02.2016 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.2016

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(1109)

श्री ताला मराण्डी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या– ज–112 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहिबगंज जिला अन्तर्गत तालझारी प्रखण्ड के मसकलैया से सुखसेना गंगा के किनारे बसा है तथा गंगा के किनारे की भूमि अत्यंत ही ऊपजाऊ है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित गंगा के किनारे के खेतों में प्रतिवर्ष बरसात में पानी के बहाव से मिट्टी कटाव होता रहा है, साथ ही एन०एच०–80 सड़क के गंगा किनारे से गुजरने के कारण सड़क का भी अस्तित्व खतरे में है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मसकलैया से सुखसेना तक गंगा के कटाव से ऊपजाऊ खेत एवं एन०एच०–80 सड़क के अस्तित्व को बचाने के लिए गार्डवाल/बोल्डर पीचिंग का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	गंगा नदी के दांये तट पर मसकलैया से सुखसेना घाट के बीच बालापोखर के पास 450 मी० लंबाई में विगत वर्ष 2014–15 में कटाव निरोधक कार्य (Revetment Work) कराया गया है। बालापोखर के पास अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम (मसकलैया से सुखसेना घाट) कटाव स्थल का निरीक्षण आगामी वर्षात अवधि के बाद क्षेत्रीय कटाव निरोधक/तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) के अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के कटाव क्षेत्र साहेबगंज प्रखंड के लालबथानी से पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र तक (प्रश्नगत सभी स्थलों सहित) कुल लम्बाई 83.15 कि०मी० की दूरी में विभिन्न Erosion Prone Area में कटाव निरोधक कार्यों का समेकित डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है, जिसका कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के Flood Management Programme (FMP) के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारा०–117/16 – 1566 /राँची, दिनांक 08.03.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1769 दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1110)

श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या– ज–106 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत ग्राम– पताहातु स्थित रोरो नदी में निर्मित बाँध से सिंचाई हेतु नहर का निर्माण वर्ष 1970 में किया गया है :	आंशिक स्वीकारात्मक। रोरो सिंचाई योजना वर्ष 1971 में पूर्ण हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नहर से विगत 10 वर्षों से मरम्मति के अभाव में सिंचाई नहीं हो पा रहा है :	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2015 में 2200 हेक्टेयर में सिंचाई दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खण्ड–1 में वर्णित नहर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस योजना के ई०आर०एम० कार्य हेतु परामर्शी द्वारा डी०पी०आर० तैयार किया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् योजना के जीर्णोद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारा०–112/16 – 1565 /राँची, दिनांक 08.03.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1599 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2016

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(111)

श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–58 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री निर्मला देवी, माननीया स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013–14 में बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा आर0ए0डी0पी0 तालाब का नवनिर्माण एवं बिरसा पक्का चेक डैम का कार्य कराया गया है;	स्वीकारात्मक है। वर्ष 2013–14 में बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र में 33 बिरसा पक्का चेक डैम का निर्माण किया गया है एवं वर्ष 2014–15 में आर0ए0डी0पी0 के तहत पांच तालाब का निर्माण किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्य पूर्ण होने के वाबजूद अभी तक 25 प्रतिशत भुगतान विभाग द्वारा लाभुक समिति को किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। प्राप्त आवंटन से आर0ए0डी0पी0 के तहत 50 प्रतिशत एवं बिरसा पक्का चेक डैम के तहत 56 प्रतिशत राशि का भुगतान लाभुक समिति को किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बची हुई राशि का भुगतान विभाग द्वारा लाभुक समिति को कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	आर0ए0डी0पी0 के तहत् वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त तालाब निर्माण योजना हेतु भारत सरकार से पुनर्वैद्धित करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से पुनर्वैद्धित होने के उपरांत प्राप्त आवंटन से कार्य की प्रगति को देखते हुए भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। बी0पी0सी0डी0 के तहत लक्ष्य के अनुरूप अवशेष 239.04 लाख रू0 का आवंटन इस निदेशालय के पत्रांक–117 दिनांक–17.02.16 के द्वारा हजारीबाग जिले को उपलब्ध करा दिया गया है, भुगतान प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–65/2016 879 कृ0,राँची,दिनांक– 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1759 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–63/2016 879 कृ0,राँची,दिनांक– 09-03-16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

(1112)

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–03 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राधा कृष्ण किशोर, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत छत्तरपुर प्रखण्ड के बाघाभाड़ा, रूद, कवल, कुरकुट्टा, हुटुकदाग, सिल्दा खूर्द, भिखही, पलवा तथा नौडीहा बाजार प्रखण्ड के मननदोहर, विशुनपुर, सलैया, खैरादोहर, जवाड़, लकड़ाही, सलैया खूर्द, जमुआ, हबरूआ, रतनाग, अंताकला, कउवल, भितिहरवा गाँव को 15 जनवरी 2016 तक किसी भी श्रोत से विद्युतीकृत नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित गाँवों को विद्युतीकृत कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर एवं नौडीहा बाजार प्रखण्ड के अविद्युतीकृत ग्रामों को केन्द्र पोषित राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु मे0 आई0भी0आर0सी0एल0 को कार्य आवंटित किया गया था परन्तु उनके द्वारा छतरपुर प्रखण्ड के बाघाभडा, रूद, कवल, कुरकुट्ठा, सिल्दा खूर्द भिखाही, पलवा तथा नौडीहा बाजार प्रखण्ड के भितिहरवा (लालगड़ा) विशुनपुर/ जमुआ, हरबुआ/ हरैया, सलैया, सलैया खूर्द, मननदोहर, रतनाग, अंताकला एवं कउवल, गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया। उक्त गाँवों के विद्युतीकरण का कार्य आर0ई0सी0/ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से विभागीय स्तर पर कराने हेतु अनुमोदन के उपरांत विभागीय स्तर पर कराया जा रहा है जिसे अगस्त 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 2. इसके अतिरिक्त नवडीहा प्रखण्ड के जवार, लकराही, खैरादोहर एवं छतरपुर प्रखण्ड के हुटुकदाग ग्राम को मे0 आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा विद्युतीकृत दर्शाया गया था। परन्तु टी0सी0आई0एल0 के निरीक्षण के उपरांत कार्य अधूरा पाया गया। उक्त सभी अधूरे विद्युतीकृत ग्रामों को भी विभागीय स्तर पर वार्षिक विकास योजना (ADP) के अन्तर्गत पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है जिसे अगस्त 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 678 / दिनांक 08-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव

1113

श्री नवीन जयसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–68 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि एच0ई0सी0 स्लम (झुग्गी–झोपड़ी) इलाके में बसे कुल 80 प्रतिशत लोगों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराई गई हैं शेष 20 प्रतिशत लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है ;		स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि बाकी 20 प्रतिशत लोग बिजली का कनेक्शन लेना चाहते है ;		स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त 20 प्रतिशत लोगों को भी बिजली कनेक्शन देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		• एच0ई0सी0 लिमिटेट राँची झारखण्ड के नगर प्रशासन विभाग/मुख्यालय का पत्रांक T. A/Adv./PS-139 दिनांक 07.07.2012 एवं मुख्य अभियंता आपूर्ति एवं वितरण, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, अभियंत्रण भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची का पत्रांक 496 दिनांक 18.07.2012 तथा आवासीय दण्डाधिकारी हटिया, राँची का ज्ञापांक 35(ii) दिनांक 15.04.2015 से यह स्पष्ट है कि एच0ई0सी0 परिसर में किसी भी व्यक्ति को विद्युत संबंध देने से पूर्व एच0ई0सी0 से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक है। • तद्नुसार विभाग में जब भी किसी आवेदक का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होता है; उन्हें विद्युत संबंध दे दिया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 677 /

दिनांक 08-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

सरकार के अवर सचिव

(1114)

श्री अरूप चटर्जी , स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.16 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–48

क्र०सं०	प्रश्न	माननीया मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के केलियासोल प्रखण्ड अन्तर्गत क्षिरूडीह एवं बेनागोड़िया तथा निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत सिंहपुर के कब्रिस्तानों में चहारदिवारी नहीं रहने के कारण आये दिन जंगली जानवरों द्वारा दफनाये गये शवों को क्षती पहुँचायी जाती है जिससे धार्मिक भावना के साथ पर्यावरण भी प्रभावित होता है।	विभाग को क्षती के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों में अविलम्ब चहारदिवारी निर्माण करवाने की मंशा रखती है।	विभागीय आवंटनादेश संख्या–385 दिनांक–15.02.16 द्वारा केलियासोल प्रखण्ड अन्तर्गत बेनागोड़िया कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु आवंटन उपलब्ध कराया दिया गया है और योजना कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है। केलियासोल प्रखण्ड अन्तर्गत क्षिरूडीह एवं निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत सिंहपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्राक्कलन की मांग की गयी है जिसके प्राप्त होने पर 2016–17 में उपलब्ध बजट के तहत विचार किया जायगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–8 / वि०स०ता०प्रश्न–09 / 16 808 राँची, दिनांक– 3/3/16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1585 दिनांक–25.02.16 के आलोक में 200(दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

8.3.16

(नुरूल होदा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / वि०स०ता०प्रश्न–09 / 16 808 राँची, दिनांक– 3/3/16

प्रतिलिपि:–प्रशाखा–5 (विधायी कार्य) कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

8.3.16

(नुरूल होदा)
सरकार के उप सचिव।

1115

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–61 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान सभा क्षेत्र के बगोदर, सरिया एवं बिरनी प्रखंड में कई स्थानों में "हाई –मास्ट" लाईट का टावर लगाये गये है परन्तु टावर से विद्युतापूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे ये टावर औचित्यहीन हो गये है;		अस्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टावरों में तत्काल प्रभाव से विद्युतापूर्ति बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		1. बिरनी प्रखण्ड में लगे हुए High Mast Light में दिनांक–04.03.2016 को विद्युत सम्बन्ध बहाल कर दिया गया है। 2. बगोदर एवं सरिया प्रखण्ड में लगे हुए High Mast Light में दिनांक– 29.02.2016 को विद्युत सम्बन्ध बहाल कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 693 / दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16
सरकार के अवर सचिव

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–59 का संशोधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, ललपनिया के वर्त्तमान प्रबंध निदेशक द्वारा – (01) मेसर्स हाईटेक सिस्टम, बोकारो कम्पनी का ऑडर नं०–09/22.04.2015 (38–लाख 52–हजार) (02) मेसर्स हाईटेक सिस्टम कंपनी का ऑडर नं०–0078/20.03.2015 (लगभग 37–लाख) (03) राँची इलेक्ट्रीकल कंपनी का ऑडर नं०–76/20.02.2015 (28–लाख 12–हजार) (04) मेसर्स ट्रडिको, राँची की कम्पनी का ऑडर नं०–62/24.02.2015 (लगभग 43–लाख) (05) मेसर्स हाईटेक सिस्टम कंपनी का ऑडर नं०–039/31.12.2014 (लगभग 78–लाख) (06) मेसर्स एपेक्स इंड्रस्टीयलस, राँची की कंपनी का ऑडर नं०–0031/02.12.2014 (लगभग 49–लाख) (07) मेसर्स जज इन्टरप्राजेस धनबाद की कंपनी का ऑडर नं०–0025/08.10.2014 (लगभग 41–लाख) कम्पनियों को बिना टेंडर किये कार्य आवंटित किया गया है	अस्वीकारात्मक 1– (01) यह कार्यादेश खुली निविदा के माध्यम से प्रावधान के अनुसार विहित प्रकिया अपनाते हुए निर्गत किया गया है । 1– (02–07) अस्वीकारात्मक परियोजना को उच्च भार क्षमता पर संचालित करने हेतु Modern Maintenance Practices के तहत मौलिक कलपूर्जों की खरीद हेतु मूल उपकरण निर्माताओं से खरीद का प्रावधान निगम की कय नीति (Work and Procurement Policy-2012) जो निगम के निदेशक मंडल से अनुमोदित है के Para 8(c) एवं डी०ओ०पी० का Para 3(iv) में निहित है । प्रावधान निम्नवत् हैः– Single tender on grounds that item to be procured is of Proprietary nature/Original Equipment Manufacturer (OEM)/ Original Equipment Supplier (OES) /Standard source other than Public Sector Undertaking (PSU), but against Proprietary Article Certificate (PAC) Managing Director – Rs. 2.00 crore Director (T) – Rs. 25.00 Lakh General Manager – Rs- 2.00 Lakh तद्नुसार परियोजना के संबंधित विभाग के अभियंता एंव इस हेतु गठित समिति के द्वारा मांग पत्र में आवश्यकतानुसार मूल निर्माता (OEM) से कय करने का अनुरोध प्राप्त होता है । इस आधार पर सक्षम पदाधिकारी MD/Chairman से अनुमोदन के पश्चात् मूल निर्माता कम्पनी को कय पृच्छा (Purchase Enquiry) निर्गत किया जाता है । मूल उपकरण निर्माता कम्पनी अपना विकय प्रस्ताव (offer) निगम को जमा करते हैं। उस विकय प्रस्ताव पत्र (offer) का निगम की निविदा समिति द्वारा जॉच पड़ताल किया जाता है । मूल निर्माता अपने मूल्य के समर्थन में अन्य सरकारी एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों का कयादेश अपने प्रस्ताव (offer) के साथ प्रस्तुत करते हैं ताकि मूल्य का सत्यापन (Justification) हो सके । उन आदेशों की पड़ताल निविदा समिति द्वारा की जाती है । जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के Office of Economic Advisor-website से तुलना कर उचित निर्णय लिये जाते हैं । प्रसंगित कार्यादेश में उक्त प्रकिया का पालन करते हुए निगम की कय नीति के अनुसार मूल निर्माता के द्वारा अधिकृत उप विकेता से कय किया गया है ।
2. क्या यह बात सही है कि ऐसी और कम्पनियों को बिना टेंडर किये कार्य आवंटित किया गया है	अस्वीकारात्मक उपरोक्त कंडिका–1 का (1) एवं कंडिका–1 का (02–07) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं कंडिका–2 के आलोक में जॉच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 710 /

दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16
सरकार के अवर सचिव

(1117)

श्री प्रकाश राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–55 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रकाश राम, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक हाट/हटिया/बाजार लगाये जाते हैं जहाँ अबतक सरकार द्वारा दुकानदारों एवं कृषि उत्पादन विक्रेताओं के लिए शेड, शौचालय, पेयजल व्यवस्था एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई है;	अस्वीकारात्मक है। संसाधनों के अंतर्गत झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के द्वारा राज्य के विभिन्न बाजार समितियों के माध्यम से समिति, हाट एवं बाजार में कृषकों, कृषि उत्पाद के व्यापारियों एवं दुकानदारों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि कर्नाटक, तमिलनाडू इत्यादि राज्यों में रेगूलेटेड मार्केट व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है, जिसमें उपरोक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में रेगुलेटेड मार्केट व्यवस्था स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कृषि एवं सहकारिता विभाग, केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य के 19 मण्डियों को 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (National Agriculture Market) से सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत समितियों में e-platform स्थापित कर राज्य एवं देश की अन्य मण्डियों से सम्बद्ध किया जायेगा। इस योजना के Pilot के रूप में प्रथम चरण के लिए पूरे देश के 20 मण्डियों को चयनित किया गया है, जिसमें रांची बाजार समिति, पण्डरा भी एक है जिसका शुभारंभ 14.04.2016 को किया जायेगा। द्वितीय चरण का काम सितम्बर 2016 तक तृतीय चरण का काम मार्च 2017 तक एवं चतुर्थ चरण का काम मार्च 2018 तक पूर्ण किये जाने की योजना है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–9/व0वि0स0(बजट सत्र)–61/2016 878 कृ0,राँची,दिनांक– 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1572 दिनांक–25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/व0वि0स0(बजट सत्र)–61/2016 878 कृ0,राँची,दिनांक– 09-03-16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

(1118)

श्री प्रकाश राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क– 52 का उत्तर।

क्र० सं०	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पिछड़ा वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिए मात्र एक ही विद्यालय, राँची में संचालित है ?	अस्वीकारात्मक कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिए कुल 04 आवासीय विद्यालय संचालित हैं जो निम्नवत् है :– 1. पिछड़ी जाति बालिका आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय, राँची। 2. पिछड़ी जाति बालिका आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय, हजारीबाग। 3. पिछड़ी जाति बालिका आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय, पलामू। 4. पिछड़ी जाति बालिका आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय, दुमका
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में 52 प्रतिशत ओ०बी०सी० की आबादी में अधिकतर गरीब एवं कम आय के परिवार शामिल है, जिनके बच्चों को सरकारी संरक्षण में पढ़ाई की आवश्यकता है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सभी जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिससे पिछड़े वर्गों के छात्र–छात्राऐं भी लाभांवित हो रहे है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रत्येक प्रमण्डल में एक –एक आवासीय विद्यालय पिछड़े वर्गों के लिए संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नही तो क्यों ?	कोल्हान प्रमण्डल को छोड़कर प्रत्येक प्रमण्डल में पूर्व से ही कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय संचालित तथा शिक्षा विभाग के विद्यालयों से भी पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। कोल्हान प्रमण्डल में आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०–06 / वि०स०–02 / 16 867 राँची, दिनांक: 9/3/16

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1580 / वि०स० दिनांक–25.02.2016 के प्रसंग में दो सौ अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.3.16

(नुरूल होदा)
सरकार के उप सचिव।

श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–56 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री नारायण दास, स0वि0स0		**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	**प्रश्न**	**उत्तर**
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवघर, मोहनपुर एवं देवीपुर प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया जा सका है, जिससे कृषकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	वर्णित प्रखण्डों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। देवघर प्रखण्ड में एक निजी कोल्ड स्टोरेज कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के वर्णित प्रखण्ड में निरन्तर फसल उत्पादन में कमी आ रही है,	अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण तथा फसल उत्पादन में निरन्तर कमी को रोकने एवं वृद्धि हेतु कृषक को प्रशिक्षण एवं उपाय बताने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह योजना एम0आई0डी0एच0 योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, राँची के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों/उद्यमियों/कृषक समूहों के लिए उपलब्ध है तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन सं0 पी0आर0सं0–120371(कृषि) 2014–15, विज्ञापन सं0 पी0आर0सं0–128065(कृषि) 2015–16 एवं विज्ञापन सं0 पी0आर0सं0–132813(कृषि) 2015–16 के क्रम में उक्त क्षेत्र से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। समय–समय पर इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है। उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत देवघर जिला में फलों, सब्जियों, फूलों एवं मसालों के उत्पादन की वृद्धि हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। साथ ही कृषकों के प्रशिक्षण हेतु कई योजनाएँ संचालित है। (1) युवायों को माली प्रशिक्षण (2) कीट रहित सब्जी उत्पादन के लाभुकों का प्रशिक्षण (3) गुणवत्तायुक्त सब्जी, पौधा, बिचड़ा उत्पादन के लाभुकों का प्रशिक्षण

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–60/2016– 853 **/कृ0,राँची/दिनांक–** 08-03-16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1571 दिनांक–25.02.2016 के क्रम में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/16

(सुमन कैथरीन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–60/2016– 853 **/कृ0,राँची,दिनांक–** 08-03-16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयय विभाग झारखण्ड, राँची/ मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, कोषांग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(1120)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-49 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखण्ड के गाँधीपुर में सब–स्टेशन का निर्माण कर दिये जाने से कई गाँव विद्युत नियमित किया जा सकता है, जिससे कृषि हेतु किसान भी लाभान्वित होंगे तथा राजस्व की भी प्राप्ति होगी;	आंशिक स्वीकारात्मक। चैनपुर प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्त्तमान में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, सेमरा से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु इस प्रखण्ड के गांधीपुर में एक 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चैनपुर प्रखण्ड के गाँधीपुर में सब–स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चैनपुर प्रखण्ड के गांधीपुर में सब–स्टेशन निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 तक इसके ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 691 / दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(124)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–97 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के तेनुघाट पंचायत के परियोजना उच्च विद्यालय तेनुघाट (कक्षा–6, कक्षा–10) विगत 30 वर्षों से जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा चलायी जा रही है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 8 वर्षों से विद्यालय में एक भी सरकारी शिक्षक नहीं है?	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त विद्यालय में शिक्षक–शिक्षिकाओं की नियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	इस विद्यालय को मानव संसाधन विकास विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां–101/16– .....1587/ **राँची, दिनांक–** .....8/3/16.....

प्रतिलिपिः– (1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के ज्ञापांक–1327 दिनांक–22.02.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1122)

दिनांक–10.03.2016 को श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–म0स0–11 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में बाल विकास विभाग द्वारा पोषण सखी की बहाली में घोर अनियमितता बरती जा रही है एवं बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली की जा रही है।	अस्वीकारात्मक। अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी के चयन हेतु विभाग द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत आवेदिकाओं का मेघा सूची तैयार करने में प्रखण्ड स्तर पर समिति गठित है, जिसमें महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड स्तर पर तैयार मेघा सूची की स्क्रीनिंग हेतु जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जिला के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0 /वि0स0–68/2016 – 640 राँची, दिनांक 03/03/ 2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1064/वि0स0 दिनांक–17.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2016

(सुधीर कुमार बाड़ा)
सरकार के उप सचिव।

(1123)

श्री शिव शंकर उराँव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज–71 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सोनुआ जलाशय योजना हेतु 8.92 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जबकि लागत राशि बढ़कर 82.65 करोड़ हो गयी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना पर अब तक 75.6 करोड़ रूप्ये खर्च हो चुके है, लेकिन अब तक वह अधूरी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और योजना को पूरा करने की दिशा में समुचित कदम उठाना चाहेगी, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का निर्माण कार्य भू–अर्जन प्रक्रिया में विलम्ब एवं जन प्रतिरोध के कारण प्रभावित हुआ है। योजना के डैम, स्पीलवे तथा दोनों मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है। 6 वितरणियों का कार्य पूर्ण है। 2 वितरणी का कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2016–17 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारा०–74/16 – 1573 **/राँची, दिनांक** 8.3.2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1076 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री राम चन्द्र सहिस, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–52 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री राम चन्द्र सहिस, स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत "परसुडीह बाजार समिति" के द्वारा परसुडीह बाजार (हाट) का संचालन किया जाता है, जहाँ से प्रत्येक महीना "लाखों रूपया" बाजार समिति द्वारा शुल्क वसूली किया जाता है;	स्वीकारात्मक है। कृषि उत्पादन बाजार समिति, परसुडीह, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में मात्र ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली की जाती है, जो वित्तीय वर्ष 2015–16 की न्यूनतम गारंटी 9,21,448.00 रूपये के लिए बन्दोबस्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि परसुडीह बाजार (हाट) प्राँगण में साफ–सफाई, पानी एवं बिजली की समस्या से दुकानदारों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि संसाधनों के अन्तर्गत परसुडीह हाट में पीसीसी पथ, आंतरिक पथ आच्छादित एवं खुला चबुतरा, डीप बोरिंग, चापाकल एवं शौचालय की व्यवस्था की गयी है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

आच्छादित चबुतरा	खुला चबुतरा	डीप बोरिंग	चापानल	बिजली	शौचालय
7 (40x10 फीट)	8 नग	2	1	15 नग (LED Light)	1 अदद (पाँच सीट)

संवेदक के द्वारा बाजार समिति, जमशेदपुर की देख–रेख में सफाई करवाई जाती है। समय–समय पर सफाई के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया है। समिति के द्वारा भी सफाई का कार्य अलग से कराया जाता है।

परिसर में दो डीप बोरिंग उपलब्ध है, जिसमें एक जलस्तर नीचे चले जाने के कारण असफल हो गया है। पुनः एक नया बोरिंग कराये जाने हेतु योजना प्रक्रिया अन्तर्गत है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परसुडीह बाजार (हाट) प्राँगण का समुचित व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2016–17 में एक डीप बोरिंग की योजना पूर्ण कर ली जायेगी। इसके साथ ही अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के लिए भी कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–62/2016– 877 /कृ0,राँची/दिनांक– 09-03-16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1575 दिनांक–25.02.2016 के कम में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/3/16

(सुमन कैथरीन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–62/2016– 877 /कृ0,राँची,दिनांक–09-03-16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयय विभाग झारखण्ड, राँची/ मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, कोषांग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/3/16

1125

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–57 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत डाड़ी प्रखण्ड में विद्युत सब–स्टेशन नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। डाड़ी प्रखण्ड के गिद्दी में 25 वर्षों से भी अधिक समय से 2X5 MVA क्षमता का विद्युत सब–स्टेशन स्थापित है एवं चालू अवस्था में है। उक्त उपकेन्द्र से दो 11 KV फीडर निकाला गया है जिससे डाड़ी प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डाड़ी प्रखण्ड में विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	डाड़ी प्रखण्ड में वर्तमान में विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 694 /

दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

1126

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज–110 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखंड क्रमशः साहेबगंज, राजमहल एवं उधवा में दर्जनों कच्ची नाला है, जिसका पक्कीकरण एवं चौड़ीकरण नहीं किया गया है ;	स्वीकरात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–(1) में वर्णित गंगा नदी के तलहटी के उपरी क्षेत्र का पानी गंगा में बह जाता है, जिसके कारण स्थानीय किसान सिंचाई सुविधा से वंचित है ;	स्वीकरात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड क्षेत्र के नालों का सिंचाई के दृष्टिकोण से पक्कीकरण एवं जगह–जगह चेकडैम या बाँध बनाकर स्थानीय कृषक को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. सिंचाई के दृष्टिकोण से नाला का पक्कीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 2. राजमहल प्रखंड अंतर्गत जपहा नाला पर चेकडैम निर्माण लागत राशि 40.04 लाख है, कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यान्वयन की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। 3. विभिन्न नालों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सम्भाव्यता पाए जाने पर बजटीय उपबंध, लाभ–लागत अनुपात एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजनाओं का कार्यान्वयन आगामी वर्षो में किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–115/16 –1589/ राँची, दिनांक– 8/3/16

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1767 दिनांक–29.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

1127

श्री सुखदेव भगत, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाल तारांकित प्रश्न संख्या–क0–34 का उत्तर सामग्री

क्र॰	तारांकित प्रश्न संख्या–क0–34	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा के जंगलों में रहने वाले 200 आदिम जनजाति परिवार को बिरसा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है ?	स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि लोहरदगा जिला में आदिम जनजातियों परिवारों की कुल संख्या–609 है, जिसमें से 2001–2002 से 2015–16 तक कुल 512 आवास की निर्माण हेतु राशि विमुक्त किया गया है। इसमे से कुल 395 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 97 परिवारों हेतु कार्य अगले वित्तीय वर्ष में लिया जायेगा एवं इसके लिए कार्रवाई अभी से प्रारम्भ है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आदिम जनजाति परिवारों को बिरसा आवास देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आदिम जनजाति परिवारों को बजट की उपलब्धता के आधार पर बिरसा आवास चरणवद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं0–04 / वि0स0(तारा)–06 / 10 786 राँची, दिनांक: 3/3/16.

प्रतिलिपि: अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को ज्ञाप संख्या–1040, दिनांक–17.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार लाल)
सरकार के उप सचिव

(1128)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-67 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत एग्यारकुण्ड प्रखण्ड के पंचमोहली, शिवलबाड़ी उत्तर, सिवलीबाड़ी दक्षिण, एग्यारकुण्ड दक्षिण, डुमरकुण्डा दक्षिण तथा डुमरकुण्डा उत्तर पंचायत क्षेत्र, केलियासोल प्रखण्ड के लेदाहेरिया, गुलियाडीह, आदिवासी टोला, बान्दरचुआ तथा सांगामहुल ग्राम एवं निरसा प्रखण्ड के मागुरूडीह, लाघटा डोमभुई, उबचोरिया तथा श्यामपुर में लगे बिजली के खम्भे, तार तथा कन्डक्टर अत्यंत ही जर्जर हो चुका है, जिससे आये दिन यह टुटते रहता है जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विषयों पर अविलम्ब कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद जिला के अन्तर्गत ग्राम–लेदाहेरिया में रोड़ क्रॉसिंग का तार बदल दिया गया है एवं शेष बचे हुए स्थानों का स्थल निरीक्षण कराया जा रहा है। माह मई 2016 तक कार्य पूर्ण करवाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 679 / दिनांक 08-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

1129

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज–86 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 23 जिलों में बहनेवाली छोटे नदी नालों पर 751 चेकडैम वीयर बनाने की स्वीकृति दी गई है :	राज्य के 24 जिलों में 773 चेकडैम के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि स्वीकृत किये जिलों की सूची में सिमडेगा जिला को शामिल नहीं किया गया है ;	अस्वीकरात्मक। उपरोक्त सूची में सिमडेगा जिलो में 43 चेकडैम को निर्माण शामिल है।
3	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में बहने वाले गिरमा, कुसमाजोर, खालीजोर नदी में वीयर योजना के अंतर्गत कार्य करवाये जाने से सिंचाई की सुविधा एवं जलस्तर में वृद्धि होगी :	स्वीकरात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिमडेगा के उपर्युक्त नदी में वीयर योजना को स्वीकृत करना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थल निरीक्षणोपरांत तकनीकी संभाव्यता पाये जाने पर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। लाभ–लागत अनुपात, बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर आगामी वर्षो में कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–89/16 –1583 / राँची, दिनांक– 8/3/16

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1091 दिनांक–17.02.16 के क्रम में 200 (दौ सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1130)

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.16 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज–94 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खुटँपानी प्रखंड के बड़ा गुन्टिया पंचायत में स्थित मौजा–चेन्डेगा के समीप ''उरीः मान्डा'' नामक जगह में ''चेक डैम'' नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त जगह में चेक डैम के बनने से लोहरदा पंचायत, दोपाई पंचायत एवं पुरूनिया पंचायत के हजारों एकड़ जमीन में आसानी से सिंचाई सम्भव है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उरीः मान्डा में चेक डैम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना निर्माण कार्य हेतु ''उरीः मान्डा'' नाला का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षणोपरांत पाया गया कि चेकडैम निर्माण हेतु स्थल तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–96/16 –........1585......../ राँची, दिनांक–....8/3/16

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1196 दिनांक–18.02.16 के क्रम में 200 (दौ सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1132)

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–47 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के जोन्हा स्थित पावर सब–स्टेशन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में अनगड़ा विद्युत उपकेन्द्र से जोन्हा में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिसकी लाईन की लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है। अनगड़ा से जोन्हा जाने वाली लाईन का जर्जर तार लगभग 02 किलोमीटर बदल दिये जाने के उपरान्त लो वोल्टेज की समस्या काफी हद तक ठीक हो गई है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जोन्हा सब–स्टेशन का निर्माण शीघ्र करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अनतर्गत बने अनगड़ा पावर सब–स्टेशन से शेष 03 अदद् 11 के0भी0 के फीडर का कार्य बाकी है, जो NTPC द्वारा किया जा रहा है। तीनों फीडर का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है जिसके उपरांत अनगड़ा के पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति समुचित हो जाएगी। उपरोक्त फीडर बन जाने के उपरान्त वर्त्तमान में जोन्हा में पावर सब–स्टेशन बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 682 / दिनांक 03-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(1133)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–39 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा में बीरू पावर ग्रिड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं ट्रांसमिशन लाईन ग्रिड से नहीं जुड़ने के कारण ग्रिड चालू नहीं हो पा रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जिला को वर्त्तमान में आवश्यकता से आधी विद्युत आपूर्ति 16 मेगावाट के स्थान पर 8 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है;	अस्वीकारात्मक। सिमडेगा जिले को कामडारा ग्रिड से 16 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 62 ट्रांसफार्मर जले हुए है तथा जिसमें अधिकतम 25 के0वी0ए0 के हैं, को बदला नहीं जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान में सिमडेगा जिलान्तर्गत 10, 16 एवं 25 के0वी0ए0 के कुल 21 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिन्हें 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर से बदलने की प्रक्रिया की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बीरू ग्रिड को चालू कराते हुए सिमडेगा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु ट्रांसफार्मर आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	यह बात सही है कि सिमडेगा–गुमला संचरण लाईन में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रत्याशा में लाईन निर्माण में विलम्ब होने के कारण बीरू ग्रिड को ऊर्जान्वित नहीं कराया जा सका है। इसे ऊर्जान्वित करने हेतु उक्त लाईन के अलावा दूसरे संचरण लाईन मनोहरपुर–सिमडेगा का निर्माण कार्य पावर ग्रिड के द्वारा तेजी से चल रहा है, जो 80 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इस लाईन को जुलाई 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके उपरांत सिमडेगा–बीरू ग्रिड को चालू कराया जा सकेगा। जले हुए 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मरों को माह अप्रैल 2016 तक बदलने का लक्ष्य है एवं 10 और 16 के0वी0ए0 के जले ट्रांसफार्मर को DDUGJY के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बदलने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 684 /

दिनांक 03-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

1134

श्री गणेश गंझू, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाल तारांकित प्रश्न संख्या–क0–11 का उत्तर सामग्री

क्र.	तारांकित प्रश्न संख्या–क0–11	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बिरहोर प्रजाति विलुप्त होते जा रही है, जबकि सरकार द्वारा इनके विकास के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपये खर्च कर रही है, उसके बाद भी विकास शून्य है ?	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान (टी0आर0आई0) के वर्ष 2002–03 के जनगणना के अनुसार बिरहोर आदिम जनजाति की जनसंख्या– 6579 है तथा वर्ष 2011 के जनगणनानुसार बिरहोर आदिम जनजाति की जनसंख्या– 10726 है। इस तरह 2011 के जनगणना के आधार पर बिरहोर आदिम जनजातियों की संख्या में 4,147 की वृद्धि हुई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रजाति आवास के बिना पेड़ पौधे के नीचे रहने को मजबूर है ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड में 2011 की जनगणना के आधार पर आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2,92,359 की आबादी में से 79,006 आदिम जनजाति के परिवारों को बिरसा आवास उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से चतरा जिला के 1,375 आदिम जनजाति परिवारों के बीच 1,022 आवास उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त कई तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है जैसे :– मुख्यमंत्री खाद्यान सुरक्षा योजना, पेयजल, सोलर ड्रिंकींग वाटर सिस्टम, कॉमन फैसेलेटी, युवा प्रशिक्षण आदि।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चतरा जिला में सिमरिया, गिद्धौर एवं परहिया में बिरहोर प्रजाति का गणना के आधार पर आवास आवंटन करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजटीय राशि की उपलब्धता के आधार पर शेष परिवारों को चरणवद्ध ढंग से नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं0–04 / वि0स0(तारा)–06 / 10 864 राँची, दिनांक: 9/3/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को ज्ञाप संख्या–547, दिनांक–12.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.3.16

(शैलेन्द्र कुमार लाल)
सरकार के उप सचिव

1135

डॉ0 जीतु चरण राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–60 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– डॉ0 जीतु चरण राम, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के काँके विधान सभा अंतर्गत बुढ़मू प्रखण्ड कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा यहाँ का जमीन कापी उपजाऊ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि यहाँ कृषि विभाग का 25 एकड़ जमीन का पुराना बुढ़मू फार्म हाउस वर्षो से बिना देख–रेख का पड़ा हुआ है, जिसका अतिक्रमण हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उस स्थान पर कृषि विज्ञान केन्द्र एवं बागवानी प्रशिक्षण केन्द्र, मृदा जाँच केन्द्र या कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त स्थान में मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–67/2016 880 कृ0,राँची,दिनांक– 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1869 दिनांक–01.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/3/16

(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–67/2016 880 कृ0,राँची,दिनांक– 09-03-16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

1136

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 कृष– 54 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
माननीय श्री नागेन्द्र महतो, स0वि0स0	माननीय श्री रणधीर कुमार सिंह, मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
01) क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बगोदर प्रखंडाधीन पश्चिमी बेको पंचायत के बेको ग्राम में स्थित नवाबांध 32 एकड़ 52 डी0 क्षेत्र में फैला हुआ है, जहॉ वर्ष भर पानी रहता है	उत्तर – स्वीकारात्मक है। अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक 318 दिनांक 11.07.1992 के स्टेटस रिर्पोट के अनुसार बगोदर प्रखण्ड के अंतर्गत पश्चिमी बेको पंचायत के बेको ग्राम में स्थित नावाबाँध (खाता सं0–238, खेसरा सं0–1498) का रकबा 25.35 एकड़ एवं जलक्षेत्र 18.00 एकड़ प्रतिवेदित है। यह तालाब 10,000/–रु0 प्रति वर्ष सुरक्षित जमा पर वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक बगोदर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ बन्दोबस्त है।
02) क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित नवाबांध में मत्स्य पालन केन्द्र की स्थापना कर देने से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा,	उत्तर – नावाबॉध में वर्त्तमान में वार्षिक 15 क्विंटल मछली का उत्पादन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु मत्स्य पालन केन्द्र की स्थापना के स्थान पर स्थानीय बेको ग्राम के 10 लोगों को मत्स्य मित्र, बीज उत्पादक एवं मत्स्य पालक के रुप में अप्रैल, 2016 से प्रशिक्षित करने की योजना है। यह भी कहना है कि बेको ग्राम के 6 मत्स्य बीज उत्पादक मछली के बीज के उत्पादन के कार्य से जुड़े हैं।
03) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित नवाबांध तालाब में मत्स्य पालन केन्द्र का स्थापना करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर – उपर कंडिका–2 में जवाब अंकित है।

ज्ञापांक– सं0स0–म0नि0–XI/वि0स0–51/2015–16...422...मत्स्य/रॉची/दिनांक...4.03.16

उत्तर की कुल 200 चक्रलिखित प्रतियॉ अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.3.16

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,

(1137)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–18 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री आलमगीर आलम,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि राज्य में फूड सिक्यूरिटी एक्ट के लागू हो जाने से पहले की अपेक्षा लाभुकों को अब ज्यादा खाद्यान्न सामग्री दिया जाना है;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह की दर से वितरित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत 1,31,137.4 मे० टन खाद्यान्न मासिक रूप से आवंटित की गई है। विदित हो कि पूर्व में अन्त्योदय एवं बी०पी०एल० परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से एवं अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवार को भारत सरकार से प्राप्त होने आवंटन के आलोक में खाद्यान्न वितरित की जाती थी। उक्त परिपेक्ष्य में 97,179.996 मे० टन खाद्यान्न प्रतिमाह की दर से आवंटित की जाती थी।
(2) क्या यह बात सही है, कि फूड सिक्यूरिटी एक्ट के लागू होने के बाद बढ़े हुए खाद्यान्न के भण्डारण हेतु राज्य में अतिरिक्त भण्डारित क्षमता की काई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में समुचित भण्डारण क्षमता निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान भण्डारण क्षमता 1.36 लाख मे० टन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के उपरान्त एक माह के लिए 1.30 लाख मे० टन भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होगी जिसके लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार अन्न के भण्डारण हेतु आवश्यक अतिरिक्त क्षमता का भंडार/गोदाम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यो ?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद राज्य में खाद्यान्न का मासिक आंवटन 130137.4 टन हो गया है। वर्तमान में राज्य की कुल भण्डारण क्षमता 136100 टन है एवं 74250 टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

ह0/–
(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 35/2016 716 /राँची, दिनांक 26.02.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1060, वि0स0, दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(1138)

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–52 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री पौलुस सुरीन, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत प्रखण्ड– तोरपा, रनिया व कर्रा एवं सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड के ग्रामीणों क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल है;		स्वीकारात्मक। • तोरपा एवं रनिया प्रखण्ड को तोरपा शक्ति उपकेन्द्र से बिजली मिलती है। • कर्रा प्रखण्ड को कर्रा शक्ति उपकेन्द्र से बिजली मिलती है। • बानों प्रखण्ड को बानों शक्ति उपकेन्द्र से बिजली मिलती है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के सभी प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में लो–वोल्टेज की समस्या के कारण छात्र–छात्राओं को पढ़ाई–लिखाई, ग्रामीण जन को सिंचाई व्यवस्था एवं अन्य सभी कार्य जो ऊर्जा से संबंधित है, उनको करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;		आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत रनिया शक्ति उपकेन्द्र तथा 33 के0वी0 लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 11 के0वी0 फीडर बनाने का कार्य मार्च 2016 तक कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सिमडेगा (बीरू) में 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन का कार्य पूर्ण है। ट्रांसमिशन लाईन जुलाई 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त दोनों कार्य पूर्ण कराते हुए लो–भोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक..... 680 ...../ दिनांक ..... 08-03-16 .....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव 3/16

(1134)

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–46 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिले के 55 पहाड़ी गाँवों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है, जिससे यहाँ की जनता अंधेरे में रहने को विवश है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा के 55 पहाड़ी गाँवों में विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लोहरदगा जिला के 55 अविद्युतीकृत ग्रामों को भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY में शामिल किया गया है। योजना की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया जारी है। भौगोलिक स्थिति एवं घने जंगल को देखते हुए सिमेंट पोल के स्थान पर टयूब्लर पोल एवं HT & LT केबल से कार्य करने हेतु DPR में संशोधन किया जा रहा है। इस कार्य को दिसम्बर 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य हैं

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 681 / दिनांक 08-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Questions & Answer)\2016\03.03.16.doc

(1140)

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले

तारांकित प्रश्न संख्या जा०–33 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री शिवशंकर उराँव, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि विभाग के इलेक्ट्रीसिटी मद में 254.64 करोड़ रूपये बकाया चला आ रहा है;		आंशिक स्वीकारात्मक है। (क) वाणिज्य–कर विभाग के पत्रांक–4853, दिनांक–17.12.15 द्वारा सर्वश्री झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (पूर्ववर्ती), TIN–20330105162 पर वर्ष 2002–2012 की अवधि की विद्युत शुल्क बकाया राशि रु॰ 96,55,56,032.00 (रु॰ 96.55 करोड़) के भुगतान हेतु विभाग को पत्र प्राप्त हुआ है। (ख) विभागीय अधिसूचना संख्या–18, दिनांक–06.01.2014 द्वारा The Jharkhand State Electricity Reform Transfer Scheme, 2013 तथा अधिसूचना संख्या–2917, दिनांक–20.11.2015 द्वारा The Jharkhand State Electricity Reforms Revised Transfer Scheme 2016 द्वारा दिनांक–05.01.2014 तक के लिए बकाया विद्युत शुल्क (राशि रु॰ 1,49,79,97,407.00) का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किये जाने संबंधी झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि॰ का पत्रांक–181, दिनांक–18.02.2016 विभाग को प्राप्त हुआ है। (ग) उक्त राशि का भुगतान बुक ट्रांसफर के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के शीर्ष में जमा करने हेतु संचिका योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को भेजी गई। वित्त विभाग द्वारा कुछ पृच्छा की गई है जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर विद्युत शुल्क की राशि के भुगतान पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि अब तक उक्त राशि की वसूली न होने से सरकारी खजाने पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है ;		झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत शुल्क के आकलन के आलोक में निगम मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह (जनवरी 2014 से) विद्युत शुल्क वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार को भुगतान किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त बकाया टैक्स की राशि वसूली के लिए दोषी बकायेदार और संबंधित जवाबदेह पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?		विद्युत शुल्क प्रतिमाह रु॰ 4.00 करोड़ का भुगतान सुचारू रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में फरवरी 2016 तक रु॰ 44.00 करोड़ का भुगतान वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार को किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 696 /

दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(141)

श्रीमती जोबा मांझी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज–111 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूँटपानी प्रखंड के लोहरदा पंचायत के कोटसोना ग्राम में खाता नं0–70, प्लोट सं0–1873 रकबा–0.58 (पुखरी बान्दा), खाता सं0–21, प्लोट सं0–1324 रकबा–1.38 (रोबान्दा), खाता सं0–5, प्लोट सं0–1614 रकबा–1.25 (कोटासाल) नामक खूँटकटट्री रैयती तालाब है ;	स्वीकरात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित तीनों तालाब ग्रामीण जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है लेकिन जीर्णोद्धार के अभाव में पानी जल्दी सूख जाता है ;	स्वीकरात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त तीनों तालाबों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निजी तालाबों का जीर्णोद्धार कराने कर कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–111/16 –......1590...... **/ राँची, दिनांक–**......8/3/16

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1768 दिनांक–29.02.16 के क्रम में 200 (दौ सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Dixit\My Documents\2015-16\Vidhan Sabha\Feb_16\6_20_T_116_16_J.M.doc

1142

श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–कृष– 59 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर /उत्तरदाता प्रभारी मंत्री, योजना सह वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त प्रभाग)
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, राजमहल शाखा द्वारा विगत 10 वर्षों में चार हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण वितरित किया गया है ?	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड – (1) में वर्णित बैंक द्वारा लाभुकों का सही चयन नहीं किया गया है तथा बैंक एवं विभागीय पदाधिकारी की मिलीभगत से भारी वित्तीय अनियमिताएँ बरती गयी है ?	किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाभुकों का चयन प्रखण्ड स्तर से किया जाता है एवं आवश्यक जाँच पड़ताल कर बैंक शाखाओं को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाता है । बैंक शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृति पूर्व निरीक्षण किया जाता है एवं बैंक के Norms के तहत ऋण प्रदान किया जाता है । लाभुकों के चयन एवं वित्तीय अनियमिताएँ के संबंध में जिला अग्रणी प्रबंधक, साहेबगंज, जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज एवं शाखा प्रबंधक, वनांचल ग्रामीण बैंक, साहेबगंज की एक कमिटि गठित कर दिनांक 08.03.2016 को राजमहल में सैम्पल बेसिस पर जाँच कराई गई, तद्नुसार जाँच किये गये लाभुकों में चयन एवं वित्तीय अनियमिता की बात प्रकाश में नहीं आई ।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजमहल भारतीय स्टेट बैंक, द्वारा विगत 10 वर्षों में वितरित किए गए किसान क्रेडिट कार्ड की जाँच कराकर, उसमें हुई वित्तीय अनियमित्ता करने वाले पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जाँच रिर्पोट में यह बताया गया है कि विभिन्न स्तरों से ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे अनियमितता की संभावना नहीं बताई गई है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक:सा0वि0(प्रश्न)12 / 2016 :159 / राँची, दिनांक: 09.03.2016/

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1760 दिनांक 29.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों एवं पूरक उत्तर सामग्री के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/3/16

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:सा0वि0(प्रश्न)12 / 2016 :159 / राँची, दिनांक: 09.03.2016/

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 808 दिनांक 03.03.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

9/3/16

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव ।

श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–कृष– 59 का पूरक उत्तर सामग्री

अग्रणी जिला प्रबंधक, साहेबगंज ने जिला अग्रणी प्रबंधक, साहेबगंज, जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज एवं शाखा प्रबंधक, वनांचल ग्रामीण बैंक, साहेबगंज की किसान क्रेडिट कार्ड लाभुकों के चयन एवं वित्तीय अनिमयितता की जाँच हेतु एक कमिटि गठित की जानकारी दी ।

आज दूरभाष पर उनसे गठित कमिटि की जाँच रिर्पोट की विस्तृत जानकारी मांगा गया, तद्नुसार उन्होंने जानकारी दी कि समयाभाव के कारण गठित कमिटि के द्वारा दिनांक 08.03.2016 को गाँव– राजमहल में करीब 40–50 लाभुकों से जानकारी प्राप्त की गई । उन सभी ने लाभुकों के चयन एवं वित्तीय अनियमितता के संबंध में बैंक एवं सरकारी तंत्र के संलिप्तता से इनकार किया ।

भारतीय स्टेट बैंक, राजमहल शाखा द्वारा लगभग 10–12 गाँवों के कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है । आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा लाभुकों के चयन एवं अनियमितता संबंधी जाँच करा दी जायगी ।

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव
योजना सह वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची ।

1143

श्री कुशवाहा शिव पूजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज०–96 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड स्थित बटाने डैम का फाटक खुला रहने से पानी का संग्रह नहीं हो पा रहा है और किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है?	आंशिक स्वीकारात्मक। भू–अर्जन एवं पुनर्वास संबंधी मुआवजा का शत प्रतिशत भुगतान नहीं होने के कारण विस्थापितों द्वारा एक गेट को उठाकर वेल्ड कर दिया गया है जिसके कारण जलाशय में जल भंडारण नहीं हो पा रहा है एवं प्रर्याप्त नहीं हो पा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड स्थित बटाने डैम का फाटक दुरूस्त करा कर किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यो?	मुआवजे के भुगतान हेतु 32.00 करोड़ का आवटन माह अक्टूबर 2016 में दिया गया है मुआवजा भुगतान प्रकीयाधीन है। गेटों के निर्माण/मरम्मति हेतु कार्यादेश निर्गत है। शीघ्र ही कार्य पूर्ण कराकर क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6/ज0स0वि0–20–ता०–100/2016.....1586.....राँची, दिनांक– .....8/3/16.....

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–1325 दिनांक–22.02.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–I जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(1144)

श्री ताला मराण्डी, स० वि० स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–क–55 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की राजधानी राँची में राज्य के कई प्रतिष्ठित सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाएँ कार्यरत हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है संथाल परगना राजधानी राँची से 450 कि०मी० दूर स्थित है, एवं इन क्षेत्रों के खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े जाति के छात्र–छात्राएँ उच्च तथा अच्छी शिक्षा के लिए राँची में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई छात्रावास नहीं बनायी गयी है, जिसमें रहकर छात्र–छात्राएँ अपनी पढ़ाई कर सके;	अस्वीकारात्मक। राँची जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए 35 छात्रावास, अनुसूचित जाति के लिए 8 छात्रावास एवं पिछड़ी जाति के लिए 1 छात्रावास विभाग द्वारा निर्मित/संचालित है। उक्त में से कुछ छात्रावास राँची में अवस्थित विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों जैसे गोस्सनर कॉलेज, महिला महाविद्यालय, एक्स०आई०एस०एस०, मारवाड़ी महिला कॉलेज, आई०टी०आई०, हेहल, आई०एस०एम०, पुन्दाग, सेन्टर फॉर बायो इन्फोरमेटिक, तुपूदाना इत्यादि में भी संचालित हैं, जहाँ सुविधानुसार बाहर से आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र रह कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इण्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए छात्रों के निवास हेतु नीतिगत फैसले लेकर छात्रावास की सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–12/2016–क– 870 राँची, दिनांक– 9/3/16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1763, दिनांक–29.02.2016 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2016

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(1146)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-28 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के पत्रांक-1573 दिनांक-27.04.15 के प्रभाव से बाजार समितियों में बाजार शुल्क वसूले जाने के प्रावधान समाप्त होने से 28 बाजार समितियों में आय के श्रोत बन्द हो गये है;	विभागीय आदेश सं0-1573 दिनांक-27.04.2015 द्वारा झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम-2011 की धारा-27 (क) (ख) (ग) एवं 31 (क) (ख) (ग) को विलोपित किये जाने के फलस्वरूप बाजार शुल्क की वसूली बन्द हो गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि आय के श्रोत बन्द होने से कर्मियों को पिछले कई माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है;	अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पर्षद एवं अधीनस्थ समितियों को भंग कर, उसमें कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन कृषि विभाग या अन्य विभाग में करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	इस पर सरकार विचार कर रही है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)-39/2016 710 कृ0,राँची,दिनांक- 26-02-16

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-522 दिनांक-12.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-2-16

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)-39/2016 710 कृ0,राँची,दिनांक- 26-02-16

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-2-16

सरकार के संयुक्त सचिव

आवासीय उच्च विद्यालय खोलना ।

*1147. श्री इरफान अंसारी--क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड में 30 प्रतिशत आदिवासीयों की आबादी रहते हुए भी एक भी आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है जिसके फलस्वरूप आदिवासी गरीब बच्चियाँ पढ़ने से वंचित रह जाती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नारायणपुर प्रखण्ड में एक आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

जनगणना आंकड़ा के अनुसार जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति की आबादी 24.08 प्रतिशत है ।

जामताड़ा जिलान्तर्गत शैक्षणिक सत्र-2015-16 से अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए आश्रम (बालिका) विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया है, जिसमें बारहवीं तक की शिक्षा दी जानी है । इस विद्यालय की दूरी नारायणपुर प्रखण्ड से लगभग 25-30 किलोमीटर है । वर्तमान में इस विद्यालय में नारायणपुर प्रखण्ड की छात्राएँ भी अध्ययनरत है ।

(2) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(1148)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–19 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री जगरनाथ महतो,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि डुमरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बोकारो जिला के नावाडीह/चन्द्रपुरा प्रखण्ड में राशन कार्ड बनाने में त्रुटि हुई है;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का चयन SECC Data के आधार पर ग्राम सभा/वार्ड स्तरीय आम सभा के अनुमोदनोपरान्त किया गया है। इसके अतिरिक्त छूटे लाभुकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सत्यापनोपरान्त पात्र लाभुकों का चयन किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थान में गरीब पिछड़े लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे गरीबो को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;	वर्तमान में वैसे लाभुक जो पात्र हैं परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है उनके लिए विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 15.02.2016 तक निर्धारित की गई थी। प्राप्त सभी आवेदनो को निर्धारित समय सारणी के अनुसार राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायत स्तर पर छुटे हुए लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

क्र० सं०	कार्य	समय–सीमा
1	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15.02.2016 तक
2	सत्यापन कार्य की समाप्ति	29.02.2016 तक
3	विभाग को संख्या का संसूचन	02.03.2016 तक
4	विभाग से अनुमोदन	09.03.2016 तक
5	अंकीकरण	25.03.2016 तक
6	राशन कार्ड मुद्रण एवं वितरण	10.04.2016 तक

ह0/–
(आलोक त्रिवेदी),
सरकार के संयुक्त सचिव।
/राँची, दिनांक 04-03-16

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 39/2016 840

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1264 वि0स0, दिनांक 19.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
सरकार के उप सचिव।

श्रीमति गंगोत्री कुजूर, स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज–65 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सोनुआ जलाशय योजना की प्रारंभिक लागत राशि नौ करोड़ तय थी अब बढ़कर 83 करोड़ रूपये हो चुकी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो सका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा योजना को वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का निर्माण कार्य भू–अर्जन प्रक्रिया में विलम्ब एवं जन प्रतिरोध के कारण प्रभावित हुआ है। योजना के डैम, स्पीलवे तथा दोनों मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है। 6 वितरणियों का कार्य पूर्ण है। 2 वितरणी का कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2016–17 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारा०–69/16 – 1574 **/राँची, दिनांक** 8.3.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 867 दिनांक 15.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2016

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

1150

श्रीमती जोबा मांझी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–66 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती जोबा मांझी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नव सृजित गुदड़ी प्रखण्ड के समूचे इलाका में विद्युतीकरण नहीं किया गया है जिससे आम जनता को सरकार के महत्वकांक्षी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नव सृजित गुदड़ी प्रखण्ड में विद्युतीकरण कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गुदड़ी प्रखंड में सभी पंचायतों को मिलाकर 88 ग्राम/ टोला है। 88 ग्रामों/ टोलों के विरूद्ध 01 गाँव (कुमडी–3001200) विद्युतीकृत है। शेष 87 ग्रामों/ टोलों को विद्युतीकरण करने हेतु निम्न योजना में चयन किया गया है:–

क्र0सं	योजना	ग्रामों/टोलों की संख्या	अभियुक्ति
1	आर0ई0स्टेट प्लान	43	43 ग्रामों/ टोलों के विद्युतीकरण का कार्य आर0ई0स्टेट प्लान के तहत् अगस्त 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2	डी0डी0जी0	41	इन सभी ग्राम को जेडा द्वारा डी0डी0जी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है जो अगले दो वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।
3	डी0डी0यू0जी0जे0वाई0	03	3 ग्राम को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में चयन किया गया है जो अगले वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूरा करने का लक्ष्य है।
	कुल	87	

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 683 / दिनांक 08-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव

(1151)

श्री हरिकृष्ण सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.16 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–41 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के मनिका प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत–रॉकीकला के ग्राम कुई के टंड़वा टोला में अवस्थित बरवागढ़ा चेकडैम का गहरीकरण एवं नहर निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त चेकडैम के गहरीकरण एवं नहर निर्माण से किसानों के सैकड़ो एकड खेतों का पटवन हो सकता है :	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित चेकडैम का गहरीकरण एवं नहर निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता के आधार पर चेकडैम के मरम्मत तथा नहर निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–59/16 –1581 / राँची, दिनांक– 8.3.16

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–475 दिनांक–11.02.16 के क्रम में 200 (दौ सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1152)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.16 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में गरीब किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखने हेतु राज्य के विभिन्न स्थानों पर लिफ्ट एरिगेशन की व्यवस्थाऐं की गई थी जो अपेक्षित रख–रखाव के अभाव में जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है ;	स्वीकरात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बीते वर्ष अपेक्षित वर्षा नहीं होने से राज्य में धान एवं रबि फसल बर्बाद हो गये है ;	स्वीकरात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में नाला विधान–सभा क्षेत्र सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बंद पड़ी उक्त योजनाओं को चालू करने एवं आवश्यकतानुसार नये लिफ्ट एरिगेशन लगाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण कराया गया था, जो विद्युत तथा यांत्रिक दोष के कारण अभी बंद है। लाभुक समिति द्वारा योजना के रख–रखाव एवं विद्युत विपत्र के भुगतान की सहमति दिये जाने पर योजना को चालू कराने पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–58/16 –1580/ राँची, दिनांक– 8.3.16

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–485 दिनांक–11.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(1153)

श्री अमित कुमार, स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज–91 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के राहे एवं सोनाहातु प्रखण्ड के कोकरो डैम के नहर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ के नहरों में गाद के भर जाने के कारण पानी का बहाव धीमा हो गया है जिससे किसानों के खेत में पानी उचित मात्रा में नहीं पहुँच रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुख्य डैम एवं इससे निकलने वाले नहरों का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना के कोकरो मुख्य नहर, सोनाहातु वितरणी एवं खुदाडीह शाखा नहर का लाईनिंग कार्य कराया गया है। बलुआडीह शाखा नहर का प्राक्कलन जाँच की प्रक्रिया में है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारा०–94/16 – 1584 **/राँची, दिनांक** 2/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1096 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/16

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

1154

श्री जगरनाथ महतो, स० वि० स० द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–क–39 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के कंजकिरो में पिछड़ी जाति छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2003–04 में हुआ था;	अस्वीकारात्मक। विभाग द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के कंजकिरो में पिछड़ी जाति छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय नहीं वरण पिछड़ी जाति बालक छात्रावास का निर्माण वित्तीय वर्ष 2004–05 में कराया गया है, जो वर्तमान में संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित आवासीय विद्यालय में आज–तक किसी तरह का पठन–पाठन का कार्य शुरू नही किया गया है;	अस्वीकारात्मक। कंजकिरो में पिछड़ी जाति बालक छात्रावास वित्तीय वर्ष 2004–05 से संचालित है एवं वर्तमान में इस छात्रावास में 30 छात्र रह रहे हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित आवासीय विद्यालय में पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है , यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–07/2016–क– 869 राँची, दिनांक– 9/3/16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1199, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2016

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के संयुक्त सचिव।